न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/24

1. बच्ची देवी पत्नी स्व0 श्री रामकिशन, जाति बैरवा, निवासी ग्राम जगसहायपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जगसहायपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा निर्णय दिनांक 07.01.2025 प्रकरण संख्या 73/2024 उनवानी रमेश बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती तरमीम नक्शाशीट अन्तर्गत धारा 136 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री जी. पी. कुमावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विशाल करनानी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टसंख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—14.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती तरमीम नक्शाशीट अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम जगसहायपुरा में स्थित खसरा नम्बर 215 गै0मु0 रास्ते की तरमीम मुताबिक साबिक नक्शाशीट जवाब स्टेट अनुसार किये जाने एवं खसरा नम्बर 192 में कुए के मुख्य बिन्दु को साबिक नक्शाशीट अनुसार अंकित किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किये गये। जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय को मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 07.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट बच्ची देवी पत्नी स्व0 श्री रामकिशन द्वारा यह अपील प्रार्थना—पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 07.01.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी कृषि भूमि में दुरूस्ती तरमीम हेतु धारा 136 भू०रा०अधि० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय उक्त खसरा संख्या के समीप के खसरा नम्बरों वाली कृषि भूमि के काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 215 के समीप के काश्तकारों को पक्षकार नही बनाकर गम्भीर कानूनी त्रुटि कारित की गयी है. उक्त कारणवश आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विधिनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू० राजस्व अधिनियम के द्वारा जिस खसरे में दुरूस्ती तरमीम चाही जाती है, उक्त खसरा के समीप सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किया जाना आवश्यक है तथा उक्त नोटिस चस्पा किया किये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किये जाने के कारण निर्णय दिनांक 07.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 212 व 215 गैर मुमकिन रास्ता ग्राम जगसिंहपुरा की भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अवैध रूप से रास्ते की भूमि पर कब्जा किया हुआ है जिसके सम्बंध में कार्यालय तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा द्वारा दिनांक 24.03.2022 को नोटिस क्रमांक/रीडर/2022/583 जारी कर खसरा नम्बर 212, 215, 60 पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 212, 215 व 60 अर्थात रास्ते की भूमि पर कब्जा किया हुआ है और अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी की भूमि मे से रास्ता निकलवाना चाहता है उक्त कारणवश आक्षेपित निर्णय दिनांक 07.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सख्या 01/प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 215 की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है जिसकी जानकारी तहसीलदार कार्यालय को भलिभांति रही है उसके बावजूद उक्त अतिक्रमण के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा अपने जवाब स्टेट में कोई उल्लेख नही किया है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 01/प्रार्थी की तहसीलदार कार्यालय एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत होना स्पष्ट है तथा उक्त कारणवश निर्णय दिनांक 07.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

आराजी खसरा नम्बर 215 के लगते समीपस्थ भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 0.5600 हैक्टेयर होने से अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर पड़ेगा एवं अपीलार्थी के हित प्रभावित होंगे। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में अपीलार्थी को कभी भी पूर्व में जानकारी नहीं रही है तथा जानकारी होते ही अविलम्ब निर्णय पारित किये जाने से पूर्व ही अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाबत् बनाये जाने आवश्यक पक्षकार प्रस्तुत कर दिया था परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र में विर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात पर बिना गौर किये ही प्रार्थना पत्र दिनाक 07.01.2025 को ही आदेशिका में आदेश पारित कर खारिज फरमा दिया गया। उक्त कारणवश आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अपास्त किये जाकर अपीलार्थी को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भी गौर नही किया गया जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को सुनवायी कर पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक व्यक्ति को सुनने के पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता है परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी बिना उनका पक्ष सुने ही आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रेषित जवाब स्टेट दिनांक 24.10.2024 को आधार मानकर ही आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है परन्तु उक्त जवाब में दशाये गये साबिक नजरी नक्शे में खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नही किया गया है। जबकि उक्त वर्णन किया जाना आवश्यक है ताकि समीप स्थित खसरा नम्बरों की भूमि के काश्तकारों के खातेदारी अधिकारी प्रभावित ना हो, उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि कारित की गयी। ऐसे में निर्णय दिनांक 07.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब स्टेट दिनांक 24.10.2024 एवं संलग्न रिपोर्ट भू०अभि० निरीक्षण एवं पटवारी हल्का जयसिंहपुरा को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रिपोर्ट दिनांक 17.10.2024 की मद संख्या 04 एवं मद सख्या 05 के बीच में "बिन्दु संख्या ए व बी से लेकर शुद्धि किया जाना उचित है।" तक अंकन रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात किया गया है तथा उक्त जोडे गये अंकन पर ना तो कोई हस्ताक्षर तथा ना ही कोई सील मोहर है इसी के साथ रिपोर्ट में दर्शाये गये भू–प्रबंध पूर्व नक्शा में भी कांट–छांट स्पष्ट दर्शित हो रही है। उक्त तथ्यों पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं देकर गम्भीर त्रुटि कारित की गयी है उक्त कारणवश निर्णय दिनांक 07.01.2025 अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत जवाब स्टेट दिनांक 24.10.2024 के साथ संलग्न रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का जयसिंहपुरा के मद संख्या 01 प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अतिरिक्त अन्य खातेदार केदार, गोपाल वगै० का भी जिक्र किंया गया है परन्तु उन्हें भी कोई नोटिस उक्त प्रकरण के सम्बंध में नहीं दिये गये तथा ना ही उनकी सहमति प्राप्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पूर्ण रूप से जवाब स्टेट की जांच किये ही यांत्रिक तौर पर कार्य कर जवाब के आधार पर ही निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि कर दी गयी, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 07.01.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 07.01.2025 प्रार्थना पत्र संख्या 73/2024 बाबत् दुरूस्ती तरमीम नक्शा ट्रैस अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम उनवानी रमेश बनाम राजस्थान सरकार पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती तरमीम नक्शा ट्रैस अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 127 लगायत 131, 184 लगायत 191, 276, 280, 343, 347, 348, 349 कुल किता 19 कुल रकबा 2.800 है0 भूमि वाके ग्राम जगसहायपुरा तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1300 है0 के साबिक खसरा नम्बर 45/7 रकबा 10 बिस्वा रहे है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 191 जिसके साबिक नम्बर 45/7 रहे है के समीपस्थ ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 215 रकबा 0.0400 है0 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में खाता संख्या नया 1 पुराना 1 जमाबंदी संवत 2074 से 2077 वाके ग्राम जगसहायपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा में दर्ज एवं अंकित है गैर मु0 रास्ता हाल खसरा नम्बर 215 रकबा 0.0400 है0 के साबिक खसरा नम्बर 56/2 रकबा 2 बिस्वा रहे है जिसकी तरमीम सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व नक्शाशीट सम्वत 2016 में रही है लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में पूर्व राजस्व नक्शाशीट के विपरित अशुद्ध तरमीम गैर मुमकिन रास्ता हाल खसरा नम्बर 215 वाके ग्राम जगसहायपुरा की मौके व पूर्व राजस्व नक्शाशीट में तरमीम के विपरीत कर दी गई है जिससे प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 191 का रकबा भी मौके पर कम हो गया है जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व नक्शाशीट में की गई अशुद्ध तरमीम को पूर्व राजस्व नक्शाशीट के अनुरूप दुरूस्त करने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर हाल 192 रकबा 0.0500 है० किस्म गै०मु० चाहा जिसके साबिक खसरा नम्बर 44 रकबा 4 बिस्वा रहे है जिसको भी वर्तमान राजस्व नक्शाशीट से हजफ कर दिया जिसको प्रार्थी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध तरमीम को दुरूस्त करने से दिनांक 05.07.2024 को इंकार किया वही वजह प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती तरमीम नक्शाशीट पेश किया गया। इसलिए भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 0.1300 है० वाके ग्राम जगसहायपुरा के समीपस्थ स्थित गैर मुमकिन रास्ता हाल खसरा नम्बर 215 जिसके साबिक खसरा नम्बर 56/2 वाके ग्राम जगसहायपुरा रहे है की वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में की गई अशुद्ध तरमीम को पूर्व राजस्व नक्शाशीट संवत 2016 के आधार पर दुरूस्त किये जाने एवं प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 192 जिसके साबिक खसरा नम्बर 44 रहे है जिसकी किस्म गै०मु० चाहा राजस्व नक्शाशीट संवत 2016 में दर्ज है को पूर्व राजस्व नक्शाशीट के आधार पर दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम जगसहायपुरा में स्थित खसरा नम्बर 215 गै0मु0 रास्ते की तरमीम मुताबिक साबिक नक्शाशीट जवाब स्टेट अनुसार किये जाने एवं खसरा नम्बर 192 में कुए के मुख्य बिन्दु को साबिक नक्शाशीट अनुसार अंकित किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किये गये। जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार सिकराय को मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गये है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 07.01.2025 द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 07.01.2025 द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी के समीप के कास्तकारों को पक्षकार बनाये बगैर ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 211 व 215 गै0मु0 रास्ता ग्राम जगसहायपुरा की भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अवैध रूप से रास्ते की भूमि पर कब्जा करने पर कार्यालय तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ने दिनांक 24.03.2022 को नोटिस क्रमांक/रीडर/2022/ 583 दिनांक 24.03.2022 जारी कर खसरा नम्बर 212, 215 व 60 पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था जिससे 'स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा खसरा नम्बर 212, 215 व 60 रास्ते की भूमि पर कब्जा किया हुआ था। तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी नोटिस दिनांक 24.03.2022 एवं तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय जिला दौसा के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3170 दिनांक 24.10.2024 की रिपोर्ट विरोधाभाषी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा पडौसी कास्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को निर्णित किया जाना चाहिए था। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक/रीडर/2022/583 दिनांक 24.03.2022 एवं तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय जिला दौसा के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3170 दिनांक 24.10.2024 की रिपोर्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार सिकराय से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

<u>अतः आदेश है कि</u> अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार सिकराय जिला दौसा द्वारा जारी नोटिस क्रमांक/रीडर/2022/583 दिनांक 24.03.2022 एवं तहसीलदार (भू.अ.) सिकराय जिला दौसा के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3170 दिनांक 24.10.2024 की रिपोर्ट के सम्बन्ध में तहसीलदार सिकराय से स्पष्ट रिपोर्ट ली जाकर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर